50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. 50RS

FIFTY RUPEES

प्रमाणित किया जाता है कि यह मूल दस्तावेज एवं द्वितीयक प्रति एक दुसरे की हुबहु और सच्ची प्रति है जो ६ पेज में टाईप किया गया है ।

टंकक सह दस्तावेज नवीस ललकु सिंह मोकाम गुमला ला० नं० १।०१ मन मोकिरान के कहने पर यह बिक्री टाईप किया वो पढ़ कर सुना वो समझा दिया सुन समझ कर बोले ठीक है ।

२८.५.०५

टंकक,

२८.५.०५

(ललकु सिंह गुमला कोर्ट)

शारदा कुमारी पाण्डेय

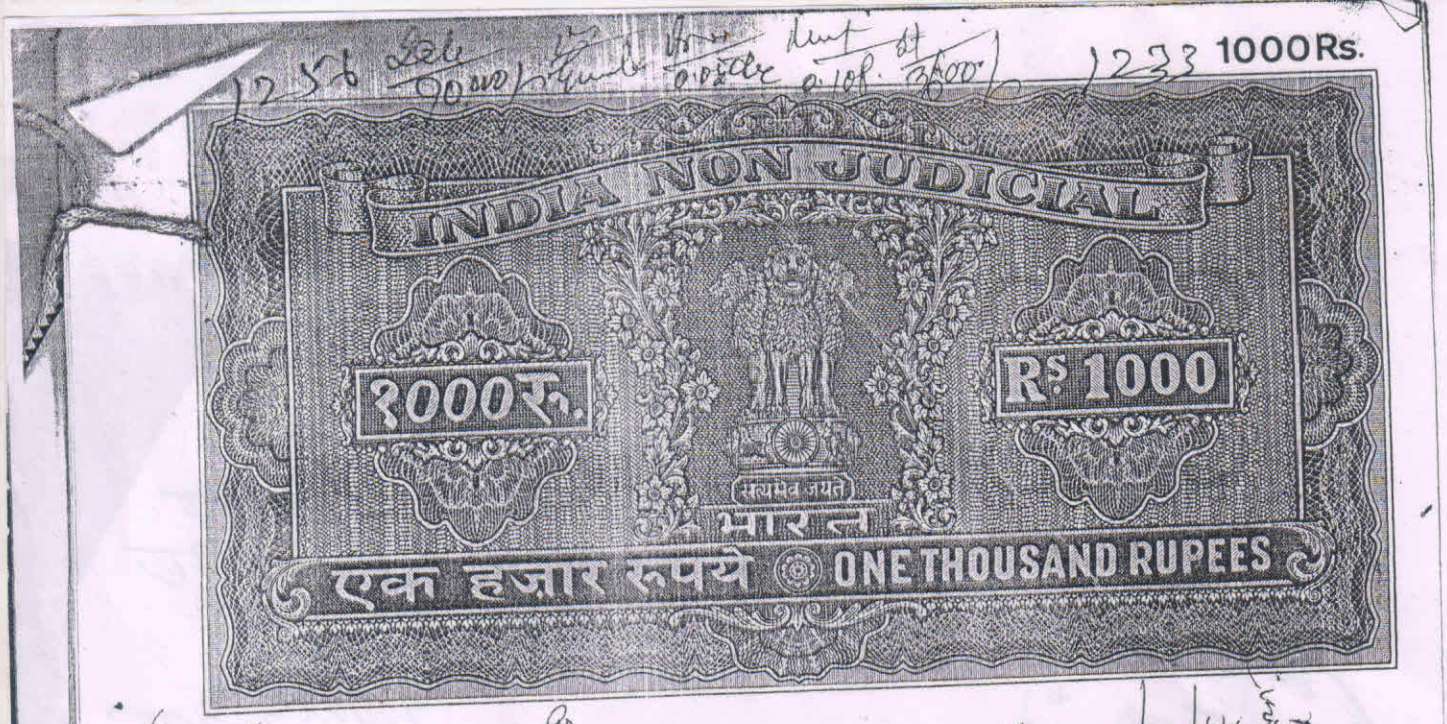

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

नाम मोकिर :- १- तुलसी प्रसाद गुप्ता वल्द मुन्नेलाल साहु
२- श्रीमती रीता गुप्ता पति श्री तुलसी प्रसाद
गुप्ता जाति रौनियार वैश्य पेशा खेती साकिन
मौजा टोटो थाना वो जिला गुमला श.प.न.-

नाम मोकिर :- शारदा कुमारी पाण्डेय पति श्री शम्भुनाथ झा
अलेह जाति ब्राह्मण पेशा नौकरी साकिन मौजा
कौनबीर थाना बसिया जिला गुमला भारतीय
नागरिक श. प.न.-

शारदा कुमारी पाण्डेय

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

किस्मि वशिका :- बिक्री बैला कलामी हमेशा के लिए जिसका सलाना माल मोवलिग ०.९० पैसा अलावे शेष ।

तायदाद रूपया :- मोवलिग ९०,०००/- नब्बे हजार रूपया जिसका आधा ४५,०००/- पैंतालीस हजार रूपया होता है ।

तफसील जमीन :- मवाजी ०.०५ एकड़ जमीन हकियत खरीदगी रैयती कायमी दखली अपना हक वो हिस्सा पटा नं० १५५३।६३ जगेश्वर प्रसाद मिश्र कनाम मन मौकिर नं० १ वो पटा नं० १५५२।६३ जगेश्वर प्रसाद मिश्र कनाम मौकिर नं० २ को गुमला रजिष्ट्री औफिस से बिक्री हासिल है अन्दर खाता नं० १२२ वाके मौजा दुन्दरिया थाना गुमला थाना नं० ४४ वार्ड नं० ८ जिला गुमला मुतअलके कलक्टरी वो डिष्ट्रीक्ट रजिष्ट्रार वो सब रजिष्ट्रार मो० गुमला अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड सरकार सर्किल अफसर गुमला अंचल ।

तफसील जमीन जो बिक्री होता है नक्शा साथ संलग्न है ।

शारदा कुमारी पाण्डेय

खाता नं० -	प्लौट नं० -	रकवा
१२२	३८३	०.०२ १/२ -- ए०
(एक सौ बाइस)	(तीन सौ तिरासी)	
१२२	३८३	०.०२ १/२ -- ए०
(एक सौ बाइस)	(तीन सौ तिरासी)	--------
		०.०५ एकड़

कुल रकवा पाँच डीसमील आवासीय योग्य खाली भूमि।
खरीदगी जमीन का लम्बाई एंव चौड़ाई नक्शा में क्रमश: लाल रंग से दर्शाया गया है।

उतर तरफ पुरब से पश्चिम को लम्बाई ६३ फीट
दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम को लम्बाई ६३ फीट
पुरब तरफ उतर से दक्षिण को चौड़ाई ३३ फीट
पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण को चौड़ाई ३७ फीट

चौहदी :- उतर - दिनेश कुमार महतो
दक्षिण - रास्ता
पुरब - श्रीमती करूणा देवी
पश्चिम रास्ता।

आगे मन मौकिरान को रूपया के जरूरी वास्ते करने व्यापार का हुवा के मौकिर अलैहा से मौवलिग ९०,०००/- नब्बे हजार रूपया पहले वसुल पाकर उपर लिखा जमीन को आज के तारीख से बिक्री किया

शारदा कुमारी पाण्डेय

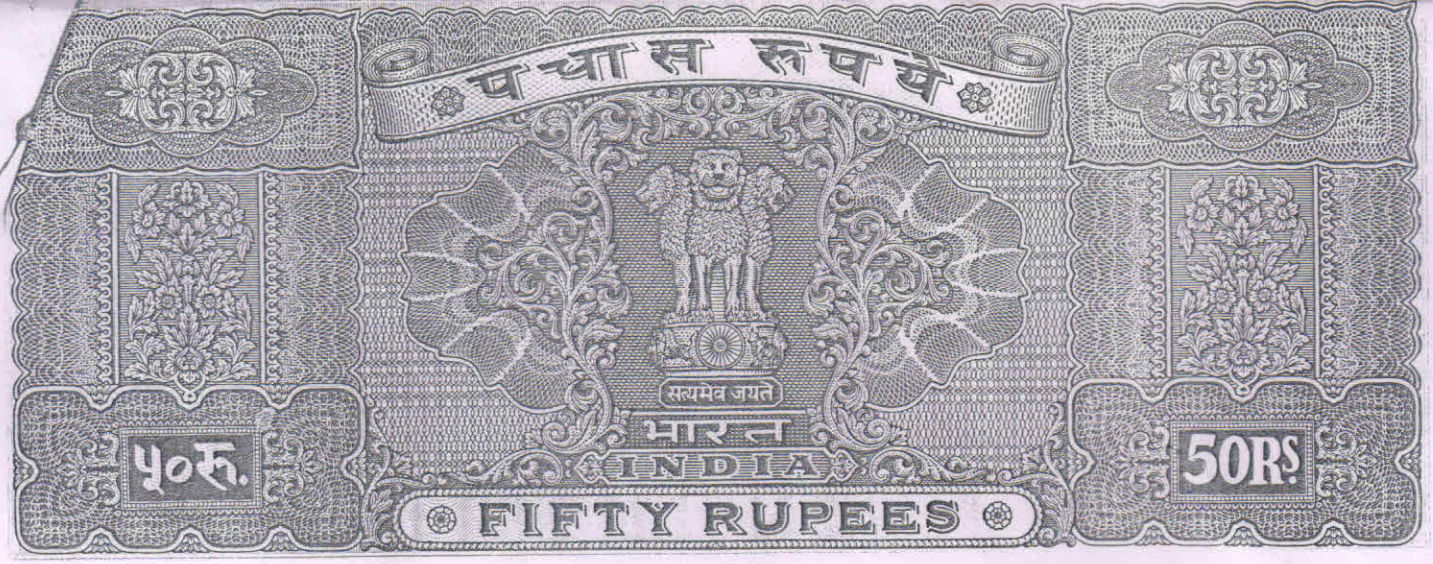

अब चाहिर के से बिक्री जमीन पर मौकिर अलेहा दखल कार होकर वो रह कर अपना कच्चा पक्का मकान बनावे, कुंआ खोदे, चहार दिवारी दिलावे या मन इंच्छा हो अपने क्या करें वो अपने नाम से खारिज दाखिल करा कर साल व साल माल अदा कर खास रसोद लिया करें इसमें उजुर मन मौकिरान या मन मौकिरान के अन्य दिगर का कोई उजुर नहीं है न करेंगे न होगा आज तक जिस किसीम का हक वो दावी मन मौकिरान या उनके वारोसान का था या आइन्दे होना सो कुल हक वो दावी आज के तारोख से मौकिर अलेहा खरीददार वो उनके वारोसान का हुवा वो आइन्दे होगा से बिक्री जमीन खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है न ही सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है न ही भुदान, भुहदवन्दी, लोज, भु-अर्जन तथा भुबन्दोबस्ती का है न होखनन एवं वन सीमा का है न ही मठ, मन्दिर, गिरजा, सरना, मस्जिद तथा गुरूद्वारा का है न ही पूर्व में बिक्री की गयी है न ही आदिवासी खाते की है इसलिए मन मौकिरान अपना- अपना भला बुरा सोच समझ कर बहाली मिजाज से बिक्री लिख दिये के समय पर काम आवे।

शारदा कुमारी पाण्डेय

हमलोग लेख्यकारी फारखण्ड मू-हदवन्दी अधिनियम १९९१ की धारा १९(२) के अधीन घोषणा करते हैं कि हमलोगों के द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन मू-हदवन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

24.05.05

मैं लेख्यधारी फारखण्ड मू-हदवन्दी अधिनियम १९९१ की धारा १९ (२) के अधीन घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जानेवाली जमीन मू-हदवन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

शारदा कुमारी पाण्डेय
24.5.05

शारदा कुमारी पाण्डेय